



न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक मिस. 887-I/12

(81)

कमल कुमार पिता अभय कुमार लसौड़
उम्र 43 वर्ष निवासी 43 विकासनगर,
नीमच तहसील व जिला नीमच म.प्र.

----- आवेदक

विरुद्ध

1. श्री रामेश्वर चंद शर्मा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन
2. म०प्र०शासन

----- अनावेदक

श्री चर्मिष्ठ-चतुर्विधिये
द्वारा आगत दि. 10/4/12
प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 29 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर महोदय,

कलेक्टर ऑफ कोर्ट

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- यहकि आवेदक ने कलेक्टर महोदय, जिला नीमच, म०प्र० के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि की अदला-बदली हेतु प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमांक 09/ए/19(4)/06-07 पर दर्ज किया गया । जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात् दिनांक 24-05-06 को भूमि की अदला-बदली का आदेश आवेदक के पक्ष में पारित किया गया था और तदनुसार उक्त आदेश का पालन किया गया । उसके पश्चात् आवेदक द्वारा उस भूमि को उन्नत बनाए जाने में काफी धनराशि खर्च की है ।

2- यहकि श्रीमान् अपर अधिकारी महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पत्र क्रमांक 11076/एफ-88/रीडर-1/2011 दिनांक 3-12-11 के अनुक्रम में कलेक्टर के आदेश को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है

3- यहकि, इसके पश्चात् अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग द्वारा आवेदक को दिनांक 29-2-12 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने का आदेश दिया गया एवं दिनांक 30-3-12 को आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं प्रकरण में दिनांक 16-4-12 जबाव हेतु नियत की गई है ।

9
Alkhatwadi
10/4/12

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

[Handwritten signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक मिसलेनियम 887-एक/2012 (कानून/रिपोर्ट) जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-5-2017	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री बी०एन०त्यागी पेनल लॉयर उपस्थित । यह विविध प्रकरण संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत अपर आयुक्त से प्रकरण आयुक्त अथवा अन्य अपर आयुक्त को सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने से संबंधित है । यह प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है, परन्तु आवेदक द्वारा इसके निराकरण में रूचि नहीं ली जा रही है । इसके अतिरिक्त लगभग 7 वर्ष में जिन अपर आयुक्त से प्रकरण स्थानान्तरित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उनका स्थानान्तरण हो चुका होगा । अतः अब इस प्रकरण के निराकरण का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>